

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 49/2019- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2019

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (छठवाँ संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 21क में,-

(क) उपनियम (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

““स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, “ “कोई कराधेय पूर्ति नहीं करेगा” से यह अभिप्रेत होगा कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई कर बीजक जारी नहीं करेगा और तदनुसार, निलंबन की अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रदायों पर कर प्रभार नहीं करेगा।””;

(ख) उपनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

“(5) जहां रजिस्ट्रीकरण के निलंबन के प्रतिसंहरण को प्रभावी करने वाला कोई आदेश पारित हुआ है, वहाँ निलंबन की अवधि के दौरान और उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के दौरान किए गए प्रदायों के संबंध में धारा 31 की उपधारा (3) का खंड (क) और धारा 40 के उपबंध लागू होंगे।”।

3. उक्त नियम के नियम 36 में, उपनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

“(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उन डेबिट नोट या बीजकों की बाबत उपभोग किए जाने वाला इनपुट कर प्रत्यय जिनके ब्यौरे प्रदायकर्ताओं द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अपलोड नहीं किए गए हैं, उन डेबिट नोट या बीजकों की बाबत उपलब्ध पात्र प्रत्यय के 20% से अधिक नहीं होगा जिनके ब्यौरे प्रदायकर्ताओं द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अपलोड किए गए हैं।”।

4. उक्त नियम के नियम 61 में, -

(क) उपनियम (5) के स्थान पर, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थातः -

“ (5) जहां धारा 37 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-1** या धारा 38 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर -2** में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा दी गई है, वहाँ धारा 39 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी ऐसी रीति से और उन शर्तों के अधीन रहते हुये जो आयुक्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, **प्ररूप जीएसटीआर -3ख** में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यह कि, जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, वहाँ ऐसा व्यक्ति **प्ररूप जीएसटीआर -3 में** विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।” ;

(ख) उपनियम (6) का, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियम के नियम 83क में, उपनियम (6) में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः -

“(i) नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और जो उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकित है, उक्त नियम के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परीक्षा पास करने के लिए अपेक्षित है।”।

6. उक्त नियम के नियम 91 में, -

(क) उपनियम (3) में, 24 सितम्बर, 2019 से प्रभावी, “संदाय आदेश जारी करेगा और” शब्दों के पश्चात “ “एक समेकित संदाय सूचना के आधार पर” शब्दों को अन्तः स्थापित किया जाएगा;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात, 24 सितम्बर, 2019 से प्रभावी, निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

“ “(4) केंद्रीय सरकार उपनियम (3) के अधीन जारी समेकित संदाय सूचना पर आधारित प्रतिदाय सवितरित करेगी।”।

7. उक्त नियम के नियम 97 में, -

(क) उपनियम (7) के पश्चात, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

“(7क) समिति माल और सेवा कर पर प्रचार या उपभोक्ता जागरूकता के लिये, प्रत्येक वर्ष की निधि में प्रत्यय की गई रकम का 50% बोर्ड को उपलब्ध कराएगी, बशर्ते उपभोक्ता मामला विभाग की उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलापों के लिए निधियों की उपलब्धता प्रति वर्ष पच्चीस करोड़ रुपये से कम नहीं है।”;

(ख) उपनियम (8) में, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, खंड (ड) का लोप किया जाएगा।

8. उक्त नियम के नियम 117 में, -

(क) उपनियम (1क) में, “ “31 मार्च, 2019” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “ “31 दिसम्बर, 2019” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएँगे।

(ख) उपनियम (4) में, खंड (ख) के उपखंड (iii) के परंतुक में “30 अप्रैल, 2019” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “31 जनवरी, 2020” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएँगे।

9. उक्त नियम के नियम 142 में,

(क) उपनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

“(1क) उचित अधिकारी कर, ब्याज और शास्ति से प्रभार्य किसी व्यक्ति को यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामीली से पूर्व उक्त अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित किसी कर, ब्याज और शास्ति के ब्यौरे **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग क** में संसूचित करेगा।”;

(ख) उपनियम (2) में, “अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य शोधय रकम” शब्दों के पश्चात “ ,चाहे उसके स्वयं के अभिनिश्चय पर या, उपनियम (1क) के अधीन उचित अधिकारी द्वारा यथा संसूचित,” शब्द, अंक और कोष्ठक अन्तः स्थापित किए जाएँगे;

(ग) उपनियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

“(2क) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने उसे संसूचित रकम का भागिक संदाय किया है या वह प्रस्तावित दायित्व के विरुद्ध कोई निवेदन फाइल करने का इच्छुक है, वहाँ वह ऐसा निवेदन **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग ख** में कर सकेगा।”।

10. उक्त नियम में, **प्ररूप जीएसटी -डीआरसी- 01** के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप जीएसटी -डीआरसी- 01क					
धारा 73(5)/74(5) के अधीन यथा संदेय अभिनिश्चित कर की सूचना					
[नियम 142 (1क) देखें]					
भाग क					
सं.:		तारीख:			
मामला आईडी सं.					
सेवा में,					
जीएसटीआईएन.....					
नाम.....					
पता.....					
विषय: मामला कार्यवाही संदर्भ सं.....- धारा 73(5)/धारा 74(5)के अधीन दायित्व की सूचना – से संबंधित					
कृपया उपरोक्त कार्यवाही का संदर्भ लें। इस संदर्भ में, उपलब्ध जानकारी के निबंधनों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा अभिनिश्चित उक्त मामले के संदर्भ में धारा 73 (5)/74(5) के अधीन आपके द्वारा संदेय कर /ब्याज /शास्ति की रकम नीचे दिए गए अनुसार है :					
अधिनियम	अवधि	कर			
सीजीएसटी अधिनियम					
एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम					
आईजीएसटी अधिनियम					
उपकर					

कुल					
-----	--	--	--	--	--

आधार और परिमाणीकरण नीचे दिया गया/संलग्न है:

--

आपको सलाह दी जाती है कि तक उपरोक्त यथा अभिनिश्चित पूरी कर की रकम लागू ब्याज की रकम के साथ संदाय करें, जिसके न होने की दशा में धारा 73(1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी ।

आपको सलाह दी जाती है कि तक उपरोक्त यथा अभिनिश्चित पूरी कर की रकम लागू ब्याज और धारा 74(5) के अधीन शास्ति की रकम के साथ संदाय करें, जिसके न होने की दशा में धारा 74 (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी ।

यदि आप उपरोक्त अभिनिश्चित के विरुद्ध कोई निवेदन फाइल करना चाहते हैं तो उसे इस प्ररूप के भाग ख मेंतक प्रस्तुत किया जाए ।

उचित अधिकारी

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

संलग्नक अपलोड करें

भाग ख

कारण बताओ नोटिस के जारी होने के पूर्व संदाय के लिए संसूचना का जवाब

[नियम 142 (2क) देखें]

से:

तारीख:

सेवा में,

उचित अधिकारी,

शाखा(विंग)/क्षेत्राधिकार ।

विषय: मामला कार्यवाही संदर्भ सं.....- धारा 73(5)/धारा 74(5)के अधीन सूचित दायित्व

के उत्तर में संदायानिवेदन – से संबंधित

कृपया मामला आईडी के संबंध में **संसूचना** आईडी.....का संदर्भ लें, जिसके द्वारा धारा 73(5) / 74(5) के अधीन यथा अभिनिश्चित संदेय कर का दायित्व सूचित किया गया था ।

इस संबंध में,

क. यह सूचित किया जाता है कि उक्त दायित्व को..... रुपए के विस्तार तक.....
..... के माध्यम से भागिक रूप से उन्मोचित कर दिया गया है और शेष दायित्व
के संबंध में निवेदन नीचे दिया गया/संलग्न है:

या

ख. उक्त दायित्व स्वीकार्य नहीं है और इस संबंध में निवेदन नीचे दिया गया /संलग्न है:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम.....

जीएसटीआईएन.....

पता.....

संलग्नक अपलोड करें।

[फा.स.20/06/07/2019-जीएसटी]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 513(अ), तारीख 18 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 33/2019 – केन्द्रीय कर, तारीख 18 जुलाई, 2019 के माध्यम से किया गया था ।